

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257693 CG-DL-E-04102024-257693

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39681

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2024/आश्विन 11, 1946

No. 3968]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2024/ASVINA 11, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4327(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का मत है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करती है, नामत: -

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ –** (1) इस आदेश को रोप्स एंड कॉर्डजेस (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होगा।
 - परंतु यह कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु और सूक्ष्म उद्यमों (केवल घरेलू उत्पादन हेतु) के संबंध में, यह आदेश दिनांक 1 जुलाई, 2025 से प्रवृत्त होगा।
- 2. प्रयोज्यता यह आदेश, इसक साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तुओं पर लागू होगा, परंतु यह निर्यात के लिए बने सामानों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।
- 3. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग -** उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामान या वस्तु उसके कॉलम (3) में निर्दिष्ट सदृश भारतीय मानक के अनुरूप होगी और उस पर भारतीय मानक ब्यूरो

6425 GI/2024 (1)

(अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के तहत मानक चिह्न अंकित होगा।

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में निर्दिष्ट सामानों या वस्तु के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

अनुसूची

क्रम सं.	सामान या वस्तु	भारतीय मानक (आईएस)	भारतीय मानक का शीर्षक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	वस्त्र – मनीला रोप्स	आईएस 1084:2005	वस्त्र — मनीला रोप्स —		
			विनिर्देश		
2	फाइबर रोप्स - पॉलिएस्टर 3-,	आईएस 11066:2022	फाइबर रोप्स - पॉलिएस्टर - 3-, 4-, 8-		
	4-, 8- और 12- स्ट्रैंड रोप्स		और 12- स्ट्रैंड रोप्स		
3	वस्त्र - मिश्रित सिंथेटिक फाइबर	आईएस 14928:2001	वस्त्र - मिश्रित सिंथेटिक फाइबर रोप्स -		
	रोप्स		विनिर्देशन		
4	वस्त्र - मिश्रित पॉलीओलेफ़िन	आईएस 14929:	मिश्रित पॉलीओलेफ़िन फाइबर रोप्स		
	फाइबर रोप्स	2022			
5	स्टील वायर रोप्स – फाइबर	आईएस 1804:2004	स्टील वायर रोप्स फाइबर मुख्य कोर -		
	मेन कोर		विशिष्टता		
6	फाइबर रोप्स – पॉलियामाइड	आईएस 4572:2022	फाइबर रोप्स - पॉलियामाइड - 3-, 4-, 8-		
	3- 4- 8- और 12-स्ट्रैंड रोप्स		और 12- स्ट्रैंड रोप्स		
7	फाइबर रोप्स –	आईएस 5175:2022	फाइबर रोप्स - पॉलीप्रोपाइलीन स्प्लिट		
	पॉलीप्रोपाइलीन स्प्लिट फिल्म,		फिल्म, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट		
	मोनोफिलामेंट और		(पीपी2) और पॉलीप्रोपाइलीन हाई-		
	मल्टीफिलामेंट (पीपी2) और		टेनैसिटी मल्टीफिलामेंट (पीपी3) -3-, 4-,		
	पॉलीप्रोपाइलीन हाई-टेनैसिटी		8- और 12- स्ट्रैंड रोप्स		
	मल्टीफिलामेंट (पीपी3) – 3-,				
	4-, 8- और 12-स्ट्रैंड रोप्स				
8	फाइबर रोप्स पॉलीइथिलीन	आईएस 8674 : 2013	फाइबर रोप्स - पॉलीइथिलीन - 3- और 4-		
	3- और 4		स्ट्रैंड रोप्स		
	-स्ट्रैंड रोप्स	_			
9	पॉलिएस्टर/पॉलीओलेफ़िन	आईएस 17609 :	पॉलिएस्टर/पॉलीओलेफ़िन दोहरे फाइबर के		
	दोहरे फाइबर के फाइबर रोप्स	2021	फाइबर रोप्स		

नोट: अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 6/1/2021-आरएंडडी (पार्ट-7)] राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

Order

New Delhi, the 3rd October, 2024

- **S.O. 4327(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-
- **Short title and commencement.** (1) This Order may be called the Ropes and Cordages (Quality Control) Order, 2024.
 - (2) This order shall come into force on 1st April, 2025.
 - Provided that for Small and Micro Enterprises (for domestic production only), as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on 1st July 2025.
- **2. Application.** This Order shall apply to goods or article specified in column (2) of the Schedule annexed to this Order, but shall not apply to such goods or article meant for export.
- 3. Compulsory use of Standard Mark. The goods or article specified in column (2) of the said Schedule shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- **4. Certifying and enforcement authority.** The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard (IS)	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Textiles – Manila ropes	IS 1084:2005	Textiles — Manila Ropes — Specification
2	Fibre ropes- Polyester 3-, 4-, 8- and 12- strand ropes	IS 11066:2022	Fibre Ropes — Polyester — 3-, 4-, 8- and 12- Strand Ropes
3	Textiles - Composite synthetic fibre ropes	IS 14928:2001	Textiles — Composite Synthetic Fibre Ropes — Specification
4	Textiles - Mixed Polyolefin Fibre Ropes	IS 14929: 2022	Mixed Polyolefin Fibre Ropes
5	Steel wire ropes – Fibre main cores	IS 1804:2004	Steel Wire Ropes Fibre Main Cores - Specification
6	Fibre ropes – Polyamide 3- 4- 8- and 12-Strand ropes	IS 4572:2022	Fibre Ropes — Polyamide — 3-, 4-, 8- and 12- Strand Ropes
7	Fibre ropes – Polypropylene split film, monofilament and	IS 5175:2022	Fibre Ropes — Polypropylene Split Film, Monofilament And Multifilament (PP2) and

	multifilament (PP2) and polypropylene hightenacity multifilament (PP3) – 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes		Polypropylene High-Tenacity Multifilament (PP3)—3-, 4-, 8- and 12- Strand Ropes
8	Fibre ropes Polyethylene 3- and 4 -strand ropes	IS 8674 : 2013	Fibre Ropes — Polyethylene —3- And 4-Strand Ropes
9	Fibre ropes of polyester / polyolefin dual fibres	IS 17609 : 2021	Fibre Ropes Of Polyester / Polyolefin dual Fibres

Note: For the purposes of the Schedule, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau of Indian Standards from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. 6/1/2021-R&D (Pt.7)] RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.